वर्ष 4, अंक 77 रु. 1/-

राष्ट्र महिला

मार्च 2006 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय

8 मार्च का दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में विश्व भर में महिला संगठनों द्वारा मनाया जाता है। सभी महाद्वीपों की महिलाएं - भले ही उन्हें राष्ट्रीय सीमाएं तथा जातीय, भाषायी, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विभिन्नताएं अलग-अलग करती हों - इस दिन ऐक्य प्रदर्शन में एकजुट हो जाती हैं। वे विगत की उन दशकों लम्बी परम्पराओं पर दृष्टि डालती हैं जो उनकी समानता, न्याय, शान्ति और विकास के संघर्ष का द्योतक हैं।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सामान्य महिलाओं द्वारा इतिहास रचे जाने की कहानी है। सदियों से महिलाओं को पुरुषों के साथ बराबरी का दर्जा प्राप्त कराने का संघर्ष ही इसकी बुनियाद है।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का विचार सर्वप्रथम उन्नीसवीं सदी के अंतिम काल में उभरा जब औद्योगीकृत देशों में कोलाहलमय वातावरण बन रहा था, जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही थी और क्रांतिकारी विचारधारा पनप रही थी।

उन प्रारंभिक वर्षों से अब तक, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ने विकसित तथा विकासशील देशों दोनों में ही महिलाओं के लिए एक नया आयाम प्राप्त कर लिया है। बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय महिला आंदोलन ने, जो संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा आयोजित किए गये महिला सम्मेलनों से और भी सुदृढ़ हुआ है, इस दिवस को महिलाओं के अधिकारों तथा आर्थिक एवं राजनीतिक प्रक्रियाओं में उनकी भागीदारी की मांगों को मनवाने के लिए समन्वित प्रयास करने का माध्यम बना दिया है। उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यह चर्चा करने का अवसर प्रदान करता है कि इस दिशा में क्या प्रगति हुई है और किन परिवर्तनों का आह्वान किया जाये। जिन साधारण महिलाओं ने महिला अधिकारों के इतिहास में असाधारण भूमिका अदा की है, उनके साहस तथा दृढ़-संकल्प के कृत्यों को भी इस दिन याद किया जाता है।

गत पांच दशकों के दौरान, महिला आंदोलन सही अर्थों में एक विश्वव्यापी घटना बन गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 'बीजिंग प्लस फाइव' विशेष सत्र ने प्रदर्शित किया कि यद्यपि हमने 1995 के बीजिंग सम्मेलन की सिफारिशों को कुछ क्षेत्रों में कार्यान्वित करने में प्रगति की है, बहुत सी बातें हैं जिन पर हमें सही अर्थों में

चर्चा में

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस

आगे बढ़ना है। किन्तु विभिन्न सरकारों द्वारा बीजिंग सम्मेलन में किए गये वायदे दर्शाते हैं कि अब यह महसूस किया जाने लगा है कि विश्व की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक समस्याओं के समाधान के किसी भी प्रयास में, महिला समानता एक केन्द्र-बिन्दु होना चाहिए। इस प्रकार, एक समय वह था जब महिलाओं को यह संघर्ष करना पड़ा कि पुरुष-महिला समानता को अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा में शामिल किया जाये, किन्तु आज पुरुष-महिला समानता का मुद्दा उस एजेंडा का स्वरूप तय करने वाला एक घटक है।

अनेक देशों ने अपने संविधानों में अथवा कानूनों में ऐसे प्रावधान शामिल कर लिए हैं जिनमें लिंग भेदभाव किए बिना मानव अधिकारों के उपभोग की गारंटी दी गयी है। विभेद करने वाले उपबंधों को हटा दिया गया है तथा महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति सचेत कराने के लिए कानूनी जानकारी तथा अन्य उपाय अपनाये गये हैं।

फिर भी, अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है। आजादी के पचास से अधिक वर्ष बाद भी भारत की महिलाएं स्वयं को बेड़ीबद्ध पाती हैं। सबसे प्रमुख है वैश्वीकरण, उदारीकरण, आर्थिक पुनर्गठन और निजीकरण का महिलाओं पर पड़ा प्रभाव। महिलाओं में, विशेषकर परिवार की मुखिया तथा वय-प्राप्त महिलाओं में, गरीबी गहराती हुई प्रतीत होती है। महिलाओं में बेरोजगारी और अल्प-रोजगारी बहुत अधिक है। बाल-विवाह, घरेलू हिंसा, दहेज की मांग, नारी भ्रूण-हत्या, बलात्कार और अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं के फलस्वरूप उन्हें अब भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है।

आइए, इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, हम महिलाओं के उद्धार और सशक्तिकरण के लक्ष्य के प्रति स्वयं को समर्पित करें। जब महिलाएं समृद्ध होती हैं, तो समाज लाभान्वित होता है और आने वाली पीढ़ियों को जीवन की एक बेहतर शुरुआत करने का अवसर मिलता है।

राष्ट्रीय महिला आयोग एयर होस्टेसों (वायु परिचारिकाओं) की सहायता करेगा

एयर इंडिया में वायु परिचारिकाओं के प्रति कथित भेदभाव किए जाने का संज्ञान लेते हुए, आयोग ने कहा है कि यदि आवश्यक हुआ तो आयोग उनके अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय का दरवाज़ा भी खटखटा सकता है। आयोग 'सीटू' से प्राप्त शिकायत पर यह कार्यवाही कर रहा है।

'सीटू' ने कहा था कि उड़ान के दौरान सेवाएं प्रदान करने के कार्य प्रभारी के रूप में, परिचारिकाओं के जूनियर पुरुष परसरों को नियुक्त करके महिला परिचारिकाओं की लम्बे अरसे से उपेक्षा की जा रही है।

राष्ट्रीय हितधारी परामर्श

इंटीग्रेटेड रिसर्च एण्ड एक्शन फॉर डेवलपमेंट तथा ऑल इंडिया वीमेंस कांफ्रेंस ने हाल ही में एक राष्ट्रीय हितधारी परामर्श का आयोजन किया : ऊर्जा, महिलाओं के मुद्दे, एम.डी.जी. और सी.एस.डी. 14 का गरीबी निवारण। नीदरलैंड के इंटरनेशनल नेटवर्क ऑन जेंडर एण्ड एनर्जी ने इसे अपना समर्थन दिया।

परामर्श का उद्देश्य देश के दशाब्दि विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन के बारे में महत्वपूर्ण मुद्दों की पहचान करना था; विशेषकर ऊर्जा उत्पादों और नीतियों में महिला परिप्रेक्ष्य शामिल करने से किस प्रकार स्थायी विकास में योगदान मिल सकता है।

भागीदारों ने प्रमुख ऊर्जा, एम.डी.जी., महिलाएं और गरीबी, राष्ट्रीय ऊर्जा नीतियां और क्रियान्वयन इत्यादि विषयों पर विचार व्यक्त किए और सुझाव दिये। वक्ताओं में डा. गिरिजा व्यास, श्री रमेश बक्शी, सुश्री मेक्ज़ाइम ओलसन (यू.एन.डी.पी. के रेज़ीडेंट प्रतिनिधि), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के सचिव डा. प्रदीप्त घोष, योजना आयोग के सदस्य डा. किरीट प्रसाद तथा अन्य लोग शामिल थे।

आयोग की अध्यक्षा डा. गिरिजा व्यास परामर्श को सम्बोधित करते हुए

सदस्यों के दौरे

- सदस्या मालिनी भट्टाचार्य ने जन्म-पूर्व निदान तकनीक पर पश्चिम बंगाल के परामर्श बोर्ड की एक बैठक में भाग लिया। पश्चिम बंगाल में चुनावों के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग के 'चलो गांव की ओर' कार्यक्रम प्रारंभ किए जाने पर उसके कार्यान्वयन के संबंध में उन्होंने राज्य के महिला आयोग तथा विभिन्न विभागों के सचिवों एवं कमिश्नरों/निदेशकों के साथ राइटर्स बिल्डिंग, कोलकता में आयोजित एक बैठक में चर्चा की।

  बिहार में भोजपुर के महिला बाल केन्द्र द्वारा आयोजित एक पारिवारिक लोक अदालत का सुश्री भट्टाचार्य ने उद्घाटन किया। इसमें लगभग 140 महिलाएं आयी थीं। बाद में वह महिला सेवक समाज द्वारा बिहार शरीफ में आयोजित एक और पारिवारिक लोक अदातल में गयीं जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं सहित कुल 70 महिलाओं ने भाग लिया। पटना लौट कर उन्होंने राज्य के महिला आयोग तथा सरकारी विभागों के प्रतिनिधियों के साथ 'चलो गांव की ओर' कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर चर्चा की।

- सदस्या सुशीला तिरिया ने हैदराबाद में राज्य महिला आयोग तथा गैर सरकारी संगठनों द्वारा महिलाओं संबंधित मुद्दों पर आयोजित कार्यक्रमों में भाग लिया। वह उड़ीसा में बड़ीपाद भी गयीं जहां उन्होंने एक नयी रेल - रूपसा-बांगड़ी-पोसी - के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। श्री लालू प्रसाद यादव ने इसमें कुछ आदिवासी महिलाओं को काम देने का वायदा किया।

- सदस्या नीवा कंवर ने गुवाहाटी में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित एक राज्य स्तरीय सम्मेलन का उद्घाटन किया जिसका विषय था 'महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण : पंचायत से संसद तक की यात्रा।' सुश्री कंवर ने इस बात पर जोर दिया कि महिलाओं की सभी प्रकार के अन्याय से रक्षा के लिए जो विधेयक संसद में सिफारिश किए जाते तथा पारित किए जाते हैं उनके संबंध में महिलाओं को जानकारी दिया जाना आवश्यक है।

- सदस्या निर्मला वेंकटेश राज्य के महिला आयोग में गयीं और कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय महिला आयोग के 'चलो गांव की ओर' कार्यक्रम के क्रियान्वयन के बारे में चर्चा की। उन्होंने कर्नाटक की महिला बैंक कर्मचारियों के साथ भी एक बैठक की और कार्यस्थल पर उनके यौन उत्पीड़न की शिकायतें सुनीं। बी.एम.एस. कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की एक छात्रा को एक सॉफ्टवेयर कंपनी द्वारा इंटरव्यू लेते समय अपमानित करने पर उसके द्वारा आत्म-हत्या कर लिए जाने के मामले में भी उन्होंने पूछताछ की। भर्ती अधिकारी के विरुद्ध समन जारी कर दिए गये हैं और बनसबाड़ी पुलिस स्टेशन पर शिकायत दर्ज करा दी गयी है।

नाबालिग लड़कियों के विवाह पर उच्च न्यायालय के निर्णय पर उच्चतम न्यायालय ने रोक लगायी

राष्ट्रीय महिला आयोग की याचिका पर, उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 25 अक्टूबर के उस निर्णय पर रोक लगा दी है जिसका प्रभाव यह होता कि 15 और 18 वर्ष के बीच की आयु की लड़कियों का अपनी मर्जी के पुरुषों के साथ किया गया विवाह वैध माना जाता।

मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली एक खंडपीड ने केन्द्र सरकार, दिल्ली सरकार और निर्मल छाया नामक एक आश्रयगृह को इस बारे में नोटिस भेजा है, और विधि आयोग की राय मांगी है। अपनी मर्जी से पुरुषों के साथ भाग गयी 15 वर्ष से ऊपर और 18 वर्ष से कम आयु की तीन लड़कियों के माता-पिता द्वारा अपहरण के तीन अलग-अलग मामले दर्ज कराए जाने पर, राष्ट्रीय महिला आयोग ने उच्च न्यायालय के निर्णय को इस आधार पर चुनौती दी थी कि इसका बड़ा दुरुपयोग होने की संभावना है।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने लड़कियों के विवाह की आयु और यौन के लिए अपनी सहमति देने की आयु के बारे में कानूनों की विसंगतियों की ओर भी ध्यान दिलाया। बाल विवाह (प्रतिषेध) अधिनियम 1955, भारतीय तलाक अधिनियम, बाल-विवाह अधिनियम 2000, और शरीयत और भारतीय दंड संहिता के बलात्कार संबंधी भिन्न मानदंडों का आयोग ने उल्लेख किया। याचिका में कहा गया कि उच्च न्यायालय के निर्णय से नाबालिग लड़की के विवाह के बारे में वर्तमान भ्रांति और भी बढ़ जायेगी और कानूनों के उन विद्यमान विरोधाभासों पर प्रकाश डाला जिनसे हमारे कानून उपहास बन कर रह गये हैं और उनका क्रियान्वयन निष्प्रभावी हो गया है।

शिकायत कक्ष से

- राष्ट्रीय महिला आयोग को एस. देवी नामक एक गरीब महिला से शिकायत मिली कि उसे दहेज के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से सताया जा रहा है। यह भी आरोप लगाया गया था कि उसका पति सी. सिंह एक अन्य विवाहित महिला के साथ गैर-कानूनी रूप से रह रहा है और किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं कर रहा।

  आयोग ने दोनों पक्षों को नोटिस जारी करके उनसे व्यक्तिगत रूप से आयोग के समक्ष प्रस्तुत होने को कहा। सुनवाई शिकायतकर्ता की उपस्थिति में 5-6 बैठकों में की गयी। पति तीन सुनवाइयों में मौजूद था। दोनों पक्षों की मंत्रणा के पश्चात् यह सहमति बनी कि आगामी तिथि पर पति दहेज का सारा सामान 10000 रुपये नकद के साथ वापस कर देगा। किन्तु उस तिथि को वह नहीं आया और इस प्रकार मामला आपसी तौर पर नहीं निपटाया जा सका। शिकायतकर्ता का अपना गुजारा करना भी कठिन था और इसलिए वह मुकदमा दायर करने और वकील का खर्चा, कोर्ट फीस देने आदि की स्थिति में नहीं थी। आयोग ने संबंधित पुलिस अधिकारियों को पति के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने के लिए लिखा। पति के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज की गयी ओर बाद में उसे जेल भेज दिया गया।

आयोग की अध्यक्षा डा. गिरिजा व्यास ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, न्यूयार्क में महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 50वें सत्र में भाग लिया

डा. गिरिजा व्यास (बीच में) थाइलैंड और नाइजीरिया के प्रतिनिधियों के साथ। दायें हैं केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्षा सुश्री रजनी पाटिल

गैर निवासी भारतीयों की समस्याओं पर विचार-विमर्श करता हुआ भारतीय प्रतिनिधि-मंडल

पैतृक सम्पत्ति में महिलाओं के अधिकार

'पैतृक सम्पत्ति में महिलाओं के अधिकार और वसीयती निपटारा' विषय पर हाल ही में नई दिल्ली में एक सेमिनार हुआ।

इस अवसर पर बोलते हुए, दिल्ली के उप-राज्यपाल श्री बी.एल. जोशी ने कहा कि परित्यक्ता, तलाकशुदा और विधवा स्त्रियां, जिनकी आय के कोई स्वतंत्र साधन नहीं होते, गरीबी और वंचना की शिकार हो जाती हैं। जिन स्त्रियों के विवाह टूट गये हैं उन्हें पुत्रों अथवा भाइयों द्वार आशायित आर्थिक सुरक्षा नहीं दी जाती। इसलिए महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए, समान उत्तराधिकार हक दिया जाना आवश्यक है।

श्रोताओं को संबोधित करते हुए, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा डा. गिरिजा व्यास ने कहा कि गत दशकों में न्यायपालिका ने विवाहों के पंजीकरण, बलात्कार, यौन उत्पीड़न, दहेज, घरेलू हिंसा आदि के बारे में अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं, और महिलाओं को सम्पत्ति के अधिकार दिया जाना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक उपयुक्त कदम है। किन्तु इन अधिकारों के सही क्रियान्वयन की आवश्यकता है और मीडिया को इस बारे में महिलाओं के बीच जागरुकता उत्पन्न करनी चाहिए।

सेमिनार को संबोधित करते हुए डा. गिरिजा व्यास। मध्य में दिल्ली के उप-राज्यपाल श्री बी.एल. जोशी

एकल लड़की के लिए सहायता

जिन माता-पिता का बच्चा केवल एक लड़की है, उनके लिए केन्द्रीय विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक स्कूल फीस माफ है। इसके अतिरिक्त, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ऐसी लड़कियों के केन्द्रीय विद्यालयों में दाखिले के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान करने पर विचार कर रहा है।

जो एकल बालिकाएं कक्षा 6 से आगे तक की कक्षाओं में दाखिला-परीक्षण के आधार पर कोई रैंक नहीं प्राप्त कर सकी हैं किन्तु न्यूनतम निर्धारित दाखिला अंक प्राप्त किए हैं, उन्हें केन्द्रीय विद्यालयों में प्रति कक्षा दो बालिका तक दाखिला दिया जायेगा। यह दाखिला कक्षा की निर्धारित संख्या के अतिरिक्त होगा।

कक्षा 1 के दाखिले में, यदि असफल आवेदकों में कुछ बालिकाएं भी रह गयीं हैं, तो ऐसे दो बच्चे कक्षा 1 के प्रत्येक सेक्शन में दाखिल किए जायेंगे।

महत्वपूर्ण निर्णय

तलाक कानून में संशोधन आवश्यक : उच्चतम न्यायालय

उच्चतम न्यायालय ने सरकार से कहा है कि 'विवाह के अपरिवर्तनीय विघटन' को तलाक का आधार बनाने के लिए हिन्दू विवाह अधिनियम में संशोधन करने की बात पर 'गंभीरता से विचार' करे।

इस बात पर चिंता व्यक्त करते हुए कि स्थायी रूप से विवाह-विघटनों के कितने ही मामलों में इसलिए तलाक नहीं दिया जा सका कि हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955, में 'विवाह के अपरिवर्तनीय विघटन' का कोई प्रावधान नहीं है, न्यायालय ने जोर देकर कहा कि बदली हुई परिस्थितियों में इस अवधारणा को कानून में शामिल किया जाना आवश्यक है।

बलात्कार-पीड़ित का नाम जाहिर न किया जाये : उच्चतम न्यायालय

बलात्कार-पीड़ित के नाम को जाहिर करने पर सजा देने वाले कानूनी प्रावधान को पूरी तरह प्रभावी बनाने के लिए, उच्चतम न्यायालय ने सभी न्यायालयों को यह परामर्श दिया है : बलात्कार-पीड़ित का उल्लेख केवल 'पीड़ित' शब्द से करें।

विवाह की मैथुनिक-असंपूर्णता तलाक का आधार

उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि पत्नी के प्रति विरक्ति एवं रूखापन तथा मैथुन-त्याग एवं विवाह की असंपूर्णता तलाक का वैध आधार हो सकते हैं।

बलात्कार का मामला : शहादत अनिवार्य शर्त नहीं है

उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि यौन प्रहार के मामलों में आरोपी शहादती गवाही पर जोर नहीं दे सकता। न्यायालय ने कहा कि बलात्कार के मामलों में दंड दिए जाने के लिए शहादत अनिवार्य नहीं है।

गोवा सरकार विवाह के पंजीकरण के लिए एच.आई.वी. परीक्षण के पक्ष में

गोवा सरकार ने विवाह के पंजीकरण के लिए एच.आई.वी. परीक्षण अनिवार्य करने का निर्णय लिया है।

अधिक जानकारी के लिए देखें हमारी वेबसाइट : **www.ncw.nic.in**

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4 - दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित। आकांक्षा इम्प्रेशन, न्यू रोहतक रोड, सराय रोहिल्ला, नई दिल्ली-110005 में मुद्रित। सम्पादक : गौरी सेन